भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 480

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

नई रोशनी योजना

480. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई रोशनी योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुरू किए गए नए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण और विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) क्या अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आर्थिक कार्यकलापों में अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक रुकावटों को दूर करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): नई रोशनी योजना, जोकि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, की शुरुआत 2012-13 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु ज्ञान, साधन और तकनीक प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। उक्त योजना को अब बंद कर दिया गया है और तदनुसार, नई रोशनी योजना के तहत विशेष रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई नया व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

हालांकि, इस योजना को अब महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक के रूप में एक एकीकृत योजना अर्थात प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) में समायोजित कर दिया गया है जिसमें महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक के तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैः

i. नेतृत्व और बुनियादी उद्यमशीलता विकास

ii. उद्यमशीलता विकास

iiii. व्यावसायिक मेंटरशिप/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बिज सखी/उद्यमी मित्र)

अब तक, पीएम विकास योजना के महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक के तहत 3380 अभ्यर्थियों के लक्ष्य का आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग): पीएम विकास योजना के महिला नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक में एक प्रमुख उद्देश्य उद्यमशीलता विकास मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षित 30 प्रतिशत लाभार्थियों के बीच व्यक्तिगत या सामूहिक उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना है ताकि एनएमडीएफसी, बैंकों, एनबीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करके 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के साथ उद्यमों/स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापित किया जा सके।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, एक प्रभावी विपणन मंच प्रदान करने के लिए लोक संवर्धन पर्व नामक अल्पसंख्यक समुदाय विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें देश भर के अल्पसंख्यक कारीगरों/शिल्पकारों/पाककला विशेषज्ञों (अल्पसंख्यक महिलाओं सहित) को अपने हस्तनिर्मित, स्वदेशी और कारीगर उत्पादों को प्रदर्शित करने और विपणन करने का अवसर दिया जाता है। ये आयोजन उन्हें व्यावसायिक अवसरों और व्यापक बाजार उपस्थिति के लिए तैयार करने के साथ-साथ रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करने में मदद करते हैं।

मंत्रालय ने अभी तक अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित कारीगर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कोई समर्पित पोर्टल शुरू नहीं किया है।

(घ): अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पीएम विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल अभ्यर्थियों का एक निश्चित प्रतिशत स्थान महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया गया हैः

i. पारंपरिक प्रशिक्षण और गैर-पारंपरिक कौशल उप घटकों में कुल लक्ष्य का कम से कम 33 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए आरक्षित है।

ii. शिक्षा घटक में कुल लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए आरक्षित है।

iiii. महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक (पूर्व में नई रोशनी योजना) विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के लिए है।

*****